"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 285] रायपुर, सोमवार, दिनांक 10 जुलाई 2017—— आषाढ़ 19, शक 1939

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर, छ. ग.

नया रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2017

प्ररूप पांच
(नियम 9 देखिए)

खरसिया विकास योजना (प्रारूप) 2031 के प्रकाशन की सूचना

क्रमांक/28/स्टेनो/न. ग्रा. नि./2017.— एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि खरसिया निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार प्रकाशित किया गया है और उसकी प्रति कलेक्टर कार्यालय रायगढ़, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् खरसिया एवं उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़ के कार्यालयों में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. दिनांक 05-07-2017 से मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् खरसिया के सभाकक्ष में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, प्रारूप विकास योजना की प्रति प्रदर्शनी स्थल पर शुल्क अदायगी करने पर प्रदाय होगी.

उक्त प्रारूप योजना की विशिष्टियां नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई है.

उक्त प्रारूप विकास योजना के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो उसे उक्त स्थलों पर छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की कालावधि समाप्त होने के पूर्व भेजा जाना चाहिए.

अनुसूची

(क) भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बंधी मानचित्र तथा उसके बारे में वृत्तात्मक रिपोर्ट.

(ख) प्रारूप योजना के उपबन्धों को स्पष्टीकरण करने वाली मानचित्रों तथा चार्टों द्वारा प्रमाणित की गई वृत्तात्मक रिपोर्ट.

(ग) प्रारूप विकास योजना की क्रमावस्था को उपदर्शित करने वाला तथा ऐसी रीति कथित करने वाला टिप्पण जिसमें विकास करने हेतु अनुज्ञा अभिप्राप्य की जाना है.

(घ) लोक प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन के खर्चों तथा योजना के कार्यान्वियन में अन्तर्वलित कार्यों के खर्चे का समुचित प्राक्कलन उपदर्शित करने वाला टिप्पण.

हस्ता./-
(सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी)
आयुक्त सह-संचालक.

DIRECTORATE OF TOWN AND COUNTRY PLANNING, INDRAVATI BHAWAN, NAYA RAIPUR, C. G.

Naya Raipur, the 05th July 2017

FORM V
(See Rule 9)

Notice of Publication of Kharsia Development Plan (Draft) 2031

No./**11**/स्टेनो/न. ग्रा. नि./**2017**. — Notice is hereby given that the draft of development plan for Kharsia Planning Area has been published in accordance with the provision of sub-section (1) of Section 18 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) a copy thereof is available for inspection at the office of the Collector Raigarh, Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad Kharsia, and Deputy Director, Town & Country Planning, Regional Office Raigarh during office hours except holidays. An exhibition is also organized from 05-07-2017 at Meeting Hall, Chief Municipal Officer, Nagar palika Parishad Kharsia Copies of the draft plan (Report) will be supplied on payment at the venue of exhibition.

The particulars of the said draft plan have been specified in the schedule below-

If there be any objection or suggestion with respect to the said Draft plan, it should be sent to the above places before the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice in the Chhattisgarh Gazette.

SCHEDULE

(a) Existing land use map and narrative report.

(b) Narrative report explaining the provision of the draft development plan supported by maps and charts.

(c) Note indicating phasing of implementation of the draft plan and stating the manner in which permission to development to be obtained.

(d) Note indicating an appropriate estimate of the cost of land acquisition for public purposes, and the cost of works involved in the implementation plan.

Sd/-
(Sidharth Komal Singh Pardeshi)
Commissioner Cum-Director.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.